राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना–2022–23/2003 जयपुर, दिनांक : 15 SEP 2021

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषय :–प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने में CSOs की सहभागिता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विदित है कि राज्य सरकार द्वारा 02.10.2021 से प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 20.09.2021 से 30.09.2021 तक राजस्व ग्राम स्तरीय ग्राम सभाएं आयोजित होगी, जिसमें नरेगा की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी।

इस ग्राम सभा में प्रशासनिक अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के माध्यम से होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्तर पर पूर्व में चिन्हित रिसोर्स पर्सन को सम्मिलित होने हेतु पहले ही निर्देशित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा का एक महत्वपूर्ण आयाम जनता द्वारा आयोजना बनाने का है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर तक समस्त ग्राम पंचायतों मे अनुमानित श्रम बजट तथा प्रस्तावित व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यों के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के आधार पर अगले साल के कार्य तय किये जाते हैं। लेकिन विभिन्न अनुभवों में पाया गया कि समान्यतः इस प्रक्रिया में अपेक्षानुरूप भागीदारी दिखाई नहीं देती और इस कारण कई बार निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना के रूप में कार्यों की मात्र एक सामान्य स्तर की सूची तैयार कर ली जाती है, जिसमें योजना की भावना के अनुरूप सहभागिता, उपयोगिता, विकासपरकता, पारदर्शिता व दूरदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पाती।

इस वर्ष पूर्व तैयारी करने एवं एक नया मेन्युअल तथा दिशानिर्देश बनाते हुए निर्णय किया गया कि पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के पूर्व प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर प्रारम्भिक शिविर लगाकर ग्राम सभा आयोजित करते हुए विस्तृत कार्य योजना बनाने का काम किया जाए।इसमें मन्तव्य यह रखा गया था कि प्रशिक्षण, अंकेक्षण को समाहित करते हुए यह समस्त कार्य कम से कम 15 दिन की अवधि तक चले और हर राजस्व गाँव की अपनी कार्य योजना स्वतंत्र रूप में बने और फिर ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वित करने के लिए यह प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना 2 अक्टूबर की ग्राम पंचायत स्तर की ग्रामसभा में पहुंचे। निश्चय ही विकेंद्रीकृत व्यवस्था के पालन से न केवल बेहतर स्तर की जन भागीदारी सुनिश्चित होगी अपितु उसके साथ ऐसी समुचित कार्ययोजना भी बनायी जा सकेगी, जो अधिक उपयोगिता, विकासपरकता, पारदर्शिता व दूरदर्शिता लिए हुए होगी।

प्रशासन गॉव के संग के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को संपादित करने व महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्य योजना बनाये जाने के लिए विविध पक्षों की सहभागिता रखी गई है, जिसमें सिविल सोसायटी संगठन की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। इसी संदर्भ में प्रशासन गॉव के संग एवं नरेगा की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण में भी सिविल सोसायटी संगठन की सहभागिता रखी गई थी। वर्तमान में इसी संबंध में जिले व पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन व सिविल सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान मे प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में सिविल सोसायटी से 2 संदर्भ व्यक्तियों की ट्रेनिंग जिले स्तर पर हुई है। चूंकि यह समस्त कार्य कम से कम 15 दिन की अवधि तक चलना है, अतः इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक में सिविल सोसायटी के दो प्रशिक्षित प्रतिनिधियों को इस दौरान 15 दिन के लिए जिम्मेदारी दिया जाना उपयुक्त होगा, ताकि इन गाँव सभाओं मे होने वाली गतिविधियों मे महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक कार्य योजना के लिए जन भागीदारी के साथ प्रस्ताव तैयार हो, प्रत्येक गाँव सभा का सुचारु आयोजन हो, योजना से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हो, वार्षिक कार्य योजना के लिए समुचित प्रस्ताव बने और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर चल रहे कंट्रोल रूम के साथ समयबद्ध समन्वयन हो सके।

अतः प्रत्येक पंचायत समिति या ब्लॉक में प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण में सिविल सोसायटी से प्रशिक्षित 2 संदर्भ व्यक्तियों/प्रतिनिधियों को इस हेतु सहभगी बनाएं। पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले सिविल सोसायटी के इन प्रशिक्षित व्यक्तियों/प्रतिनिधियों का सामान्य जॉब चार्ट निम्नानुसार होगा–

1 नरेगा एवं प्रशासन गांवों के संग के बिन्दुओं के संबंध में जन सामान्य को जागरूक कर नरेगा कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने वाले कार्यों हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत करने में सहयोग करना व ग्राम सभा में हो रही गतिविधियों का अवलोकन करना।

2 प्रत्येक गाँव से संपर्क सूत्र बना कर सभी प्रतिभागियों की सूची बनाते हुए ग्राम सभा फैसिलिटेशन टीम के निर्माण में सहयोग करना, इसके साथ समन्वयन व सहयोग करना व नरेगा सहित अन्य योजनाओं की सूचनाएं/रिकार्ड प्राप्त कर फैसिलिटेशन टीम तक पँहुचाना।

3 प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण में समन्वयन व सहयोग करना। विशेष रूप से जिला स्तर पर काम करने वाले सिविल सोसायटी के मास्टर ट्रेनर का प्रस्तावित जॉब चार्ट लेकर पंचायत समिति/ब्लॉक स्तर पर होने वाली ट्रेनिंग में समन्वयन व सहयोग करना।

4 राज्य, जिला व पंचायत समिति स्तर पर कंट्रोल रूम अधिकारियों के साथ समन्वयन कर वांछित डेली रिपोर्ट भेजने में सहयोग करना।

5 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के माध्यम से होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्तर पर पूर्व में चिन्हित रिसोर्स पर्सन व राजीविका से संबद्ध व अन्य स्वयं सहायता समूहों से समन्वय कर उनकी सहभागिता बढाना।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में अनेक कार्य किये जाने हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कार्य महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्य योजना बनाया जाना भी है। जिस सीमा तक सिविल सोसायटी संगठन की सहभागिता का बिंदु है, इसमें उभयपक्षीय समन्वय व सहयोग आवश्यक है। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय समन्वय व सहयोग अपेक्षित होगा, जिसमें जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों के साथ, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अन्य अधिकारियों के साथ और ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम स्तर पर समन्वयन किया जाएगा। इसमें जहां आवश्यक होगा, प्रशासन द्वारा सिविल सोसायटी संगठन समुचित सूचनाएं/आँकड़े/अभिलेख भी उपलब्ध कराये जायें। विशेष रूप से महात्मा गांधीनरेगा की वार्षिक कार्य योजना बनाने हेतु पिछले वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व स्वीकृत कार्यों की सूची आवश्यक होगी, जिसमें विकास अधिकारी/JTA व ग्राम विकास अधिकारी आदि समुचित सहयोग करेंगे।

एतद् अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कृष्ण कांत पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
4. महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस